चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : registrar@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक :—आर०ओ० / 556 / 2025—26 दिनांक :— 13.04.2026

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय : उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 20 अप्रैल 2026 के मध्य "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" प्रचार अभियान के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0, शासन के संलग्न पत्र संख्याः 363 / सत्तर—3—2026 दिनांक 11.04.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 20 अप्रैल 2026 के मध्य "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" प्रचार अभियान हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा उक्त कार्यक्रम के आयोजन में प्रतिभागी छात्राओं एवं महिलाओं की संख्या, जियोटैग फोटोग्राफ तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की प्रति सॉफ्टकापी एवं एक्सल शीट में उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है। शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित कराने का कष्ट करें:—

- नारी शक्ति पद यात्रा
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सपोर्ट हेतु मोबाईल नम्बर 9667173333 पर मिस्डकॉल।
- नारी शक्ति दीवार एवं हस्ताक्षर अभियान
- मानव श्रृंखला
- स्कूटी रैली
- नूक्कड नाटक
- चित्रकला
- सैंडआर्ट
- नारी वंदन अधिनियम थीम पर रंगोली
- अन्य कार्यक्रम

अतः शासन के संलग्न पत्र दिनांक 11.04.2026 में वर्णित दिशा निर्देशों के आलोक में उल्लिखित कार्यक्रम आयोजित कराते हुए निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना दिनांक 20 अप्रैल 2026 सांय 05:00 बजे तक पी0डी0एफ0 फाईल, साफ्टकॉपी एवं एक्सेल सीट में ई—मेलः mahilaadhyayankendra@ccsuniversity.ac.in एवं rheomeerut@yahoo.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे वांछित सूचना संकलित कर समयान्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित की जा सके:—

महाविद्यालय का प्रकार (GOVT/AIDED/ SELF FINANCE)	महाविद्यालय का नाम	दिनांक	कार्यक्रम के नाम	प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्राओं एवं महिलाओं की संख्या पृथक—पृथक	जियो टैगिंग फोटोग्राफ	समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की प्रति।
01	02	03	04	05	06	07
			नारी शक्ति पद यात्रा			
			नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सपोर्ट हेतु मोबाईल नम्बर 9667173333 पर मिस्डकॉल।			

			नारी शक्ति दीवार एवं हस्ताक्षर अभियान			
			मानव श्रृंखला			
			स्कूटी रैली			
			नूक्कड नाटक			
			चित्रकला			
			सैंडआर्ट			
			नारी वंदन अधिनियम थीम पर रंगोली			
			अन्य कार्यक्रम			

हस्ताक्षर

प्राचार्य/नोडल अधिकारी

विशेषः— उल्लिखित समस्त कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त फोटोग्राफ एवं प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति साफ्टकापी में अवश्य संलग्न किया जाए।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि : **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

01. प्रो० बिन्दु शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित की विश्वविद्यालय परिसर में उपर्युक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित कराने का कष्ट करे साथ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे वांछित सूचना उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जा सके।
02. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
03. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीया कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. प्रभारी वेवसाइट; चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

<u>शीर्ष प्राथमिकता</u>

<u>संख्या-3<3/सत्तर-3-2026</u>

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **निदेशक,** उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- **कुल सचिव,** समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

3- **समस्त** क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश

<u>उच्च शिक्षा अनुभाग-3</u> **<u>लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2026</u>**

विषयः उच्च शिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 से 20 अप्रैल 2026 के मध्य "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023" प्रचार अभियान के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र नारी शक्ति वंदन के संदर्भ में अत्यंत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है। यह सत्र महिला शस्क्तिकरण की दिशा में नये अध्याय का प्रतीक होगा। उक्त के क्रम में दिनांक 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रदेश में समन्वित अभियान चलाया जायेगा, जिसके अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियां निर्धारित की गई हैं (सूची संलग्न)।

2- कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित की गई गतिविधियों की सूची के बिन्दु जिनके संबंध उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजन/कार्यवाही किया जाना है।

(1) <u>बिन्दु 04- नारी शक्ति पदयात्रा</u> (15 और 16 अप्रैल 2026)

- प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में नारी शक्ति पदयात्रा का आयोजन किया जाये।
- पदयात्रा में बैनर एवं कार्ड का प्रयोग भी किया जाये।
- पदयात्रा का नेतृत्व प्रतिष्ठित/सामाजिक सेविका महिला से करवाया जाये।
- देश में लखपति दीदी लाभार्थियों, महाविद्यालय के लाभार्थियों, NCC/NSS के वॉलंटियर्स को भी पदयात्रा में जोड़ा जाये।

<u>(2) 09- नारी शक्ति दीवार और मानव श्रृंखला</u> (11 अप्रैल)

- सभी प्रमुख स्थानों पर "नारी शक्ति दीवार" स्थापित की जाये, जहाँ महिलाओं से अपने विचार लिखने एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर करने का आग्रह किया जाये।
- कम से कम 50 महिला कॉलेज, हॉस्टल, महाविद्यालयों आदि पर मानव श्रृंखला बनाई जाये। इस गतिविधि में बैनर और कार्ड का प्रयोग भी किया जाये।

<u>(3) बिन्दु 06- मिस्ड कॉल नम्बर एवं स्टिकर</u> (10 अप्रैल)

- जनसमर्थन जुटाने हेतु मिस्ड कॉल नंबर और स्टिकर जारी किया जाये।
- स्टिकर को सभी कार्यक्रम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पदयात्रा, सम्मेलन, इस नंबर और स्टिकर टाउनहॉल में प्रमोट करना है।
- जनसंपर्क के दौरान घर, बाइक आदि पर सीधे-सीधे स्टिकर लगाना है।

(4) बिन्दु 08- कलात्मक नवाचार (अभियान के दौरान)

- सैंड आर्ट, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, लोकगीत, और अन्न्न प्रयोग से विमर्श निर्माण करना है।

3- इस संबंध मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 10 से 20 अप्रैल तक चलाये जा रहे उक्त समन्वित अभियान के अंतर्गत संचालित किये जाने वाली गतिविधियों (प्रस्तर 2 के बिन्दु 1 व 2) का आयोजन कराते हुए प्रस्तर 2 के बिन्दु 3 व 4 पर उल्लिखित कार्यक्रम के संचालन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आयोजन को सफल जाने के संबंध में त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत अभियान हेतु संचालित किये जाने वाली गतिविधियों संबंधी सूची (छायप्रति संलग्न) में उल्लिखितनोट/दिशा निर्देश का संज्ञान लेते हुए उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए आयोजन के सफल संचालन हेतु समस्त कार्यवाहियां/आयोजन समयान्तर्गत पूर्ण करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(शकील अहमद सिद्दीकी),
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, माननीय मंत्री।
2- अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग/सूचवा विभाग/ग्राम विकास विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/युवा कल्याण विभाग/संस्कृति विभाग/नगर विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी),
संयुक्त सचिव।